फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम पप्पूलाल वगै0

(पत्र) संख्या: /2024 5/1h4TI

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.02.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉं पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहरा वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण में किसी भी एक का जवाब पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम पीपला भरत सिंह, पटवार हल्का, जयसिंहपुरा, भू0अ0नि0क्षे0 भांखरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 113 के खसरा नम्बरान् 613, 615/1, 616, 617/1, 636/3 का तकासमा नही होने तक निर्माण कार्य नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 06.03.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
6/3/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में [illegible] है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/5/24 को पेश हो।	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 नही अप्रार्थी [illegible]। बावजूद तामील उपस्थित नही [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] पत्रावली का [illegible] दस्तावेज [illegible] बहस वकील प्रार्थी [illegible] अवलोकन करने पर [illegible] जारी [illegible] बाद [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:32:03 IST
Reason: SelfAttested